

अपील / रसद / 04 / 2022 न्यायालय जिलाकलक्टर, भरतपुर (राज०)

हेमचन्द्र पुत्र शिवचरण निवासी ग्राम पचांयत भदीरा तहसील नदवई जिला भरतपुर
.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी, भरतपुर जरिये पैरोकार रसद

.....रेस्पों

अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर
दिनांक 7-12-2016 व वावत प्रकरण संख्या 63/2016

निर्णय

दिनांक 22-11-2022


अपील प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं। जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपने आदेश दिनांक 7-12-2016 से प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने एवं समस्त प्रतिभूति राशि जप्त सरकार किये जाने की आज्ञा पारित की गई थी। अपीलान्ट ने जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 07-12-2016 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में पेश की गई। इस न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 08/2017 को अपीलान्ट एवं उनके अभिभाषक की अनुपस्थित होने से आदेश दिनांक 06.08.2019 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दी गई। अपीलान्ट ने इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 06-08-2019 के खिलाफ एक अपील माननीय खाद्य आयुक्त, राजस्थान जयपुर के समक्ष पेश की गई।

माननीय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज. जयपुर ने पुनरीक्षण याचिका संख्या- 66/2019 उनवानी हेमचन्द्र बनाम जिला रसद अधिकारी वगैरे स्वीकार करते हुये अपने निर्णय दिनांक 05.01.2022 से इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.08.2019 को अपास्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ जिला कलक्टर भरतपुर को पुनः प्रेषित (Remand) किया कि रिविजनकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

माननीय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज. जयपुर के निर्णय दिनांक 5-01-2022 के परिप्रेक्ष्य में अपील पुनः दर्ज रजिस्टर की जाकर उभय पक्षकारान की तलबी की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील में तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि माननीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

.....2



जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

(2)

अपील/रसद/04/2021
हेमचन्द बनाम डीएसओ भरतपुर

विभाग, राज0 जयपुर बाबत रिमान्ड किया गया है। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि तहत न्यायालय ने विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है, प्रार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य वगैरे का प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है, तहत न्यायालय ने प्रार्थी की अनुपस्थित में आदेश पारित किया है, केवल प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, यह तथ्य तहत न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है। योग्य अभिभाषक अपीलान्त का कथन है कि राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ आदेश 1976 के आदेश 24 के अनुसार 1 "...कोई कार्यकारी मजिस्ट्रेट या कोई भी राजस्व अधिकारी, जो नायब तहसीलदार के रैंक से नीचे का न हो या खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक के रैंक से नीचे का न हो, समस्त युक्ति युक्त समयों पर किसी भी राशन या खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक पदार्थों का स्टाक या खाद्यान्नों एवं अन्य आवश्यक पदार्थों के व्यवहार से संबंधित लेखा पुस्तकों अथवा अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकेगा और ऐसे निरीक्षण के प्रयोजनार्थ....।" किन्तु न्यायालय द्वारा इस आदेश कि अवहेलना करते हुये निदेशक तकनीकी राजकोम इनफो सर्विस लि0 के मात्र पत्र के आधार पर बिना किसी जांच के अपीलान्त के लाईसेन्स को निरस्त करने का जो अपीलाधीन आदेश दिया गया है वह नियमों के विपरीत रहने से खारिज योग्य है। अपीलान्त के खिलाफ पोस मशीन पर आधार आई.डी. संख्या 358135983069 से 208 व आधार आई.डी. संख्या 732476917151 से 149 ट्रान्जेक्शन करने का जो आरोप लगाया है सरासर गलत व निराधार है, अपीलान्त द्वारा राशन सामग्री का वितरण राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्णतय पोस मशीन के जरिये से ही किया जा रहा है, पोस मशीन में अपीलांत के स्तर से किसी प्रकार से कोई हैराफेरी या छेड़छाड नहीं की जा सकती है ना ही उक्त आधार आई.डी. संख्या अपीलांत की है नाही अपीलांत के पास उपलब्ध पोस मशीन से एक बार में किसी एक आधार कार्ड संख्या से इतने अधिक ट्रान्जेक्शन नहीं किये जा सकते हैं। अपीलान्त द्वारा सभी उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का वितरण निर्धारित माप दण्डों के अनुसार ही किया जाता रहा है। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है कि अपीलान्त पर लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में तहत न्यायालय ने अपने स्तर पर कोई जांच नहीं कराई गई एवं ना ही किसी उपभोक्ता के बयान वगै. लिये गये हैं। अपीलान्त डीलर के खिलाफ किसी भी उपभोक्ता ने सामग्री नहीं मिलने बाबत कोई शिकायत नहीं की गई है। योग्य अभिभाषक ने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनयमन आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकारी पत्र की शर्त संख्या 5,11, व 17 सी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि तहत न्यायालय ने अपने आदेश में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है कि उक्त शर्तों का किस प्रकार अपीलान्त ने उलंघन किया है, तहत न्यायालय द्वारा केवल यह लिख देना कि उक्त शर्तों का उलंघन किया गया है पर्याप्त नहीं है बल्कि आरोपों को साक्ष्य सबूतों के आधार पर संदेह से परे जाकर साबित करना चाहिये, तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में ऐसा नहीं किया

.....3


जिला कलेक्टर
भरतपुर (राज0)




है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने ऐसी ही नेचर के अन्य प्रकरणों विजयभापन सिंह बनाम जिला रसद अधिकारी भरतपुर एवं ऋषी कटारा बनाम डीएसओ की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये निवेदन किया है कि उक्त प्रकरणों को डीएसओ को रिमान्ड किया गया है, यह प्रकरण भी समान नेचर के प्रकरणों होने से विचाराधीन अपील को भी स्वीकार किया जावे। पोस मशीन के अनुसार एक आधार कार्ड से एक ही राशनकार्ड को जोड़कर रसद सामग्री नहीं निकाली जा सकती है लेकिन कई बार पोस मशीन में तकनीकी खामी एवं उचित प्रशिक्षण के अभाव में ट्रांजेक्शन रिपीट होना संभव है लेकिन तहत न्यायालय द्वारा बिना किसी विस्तृत जांच/निष्कर्ष के एवं बिना किसी आधारों पर केवल मात्र ट्रांजेक्शन रिपोर्ट को ही आधार माना जाकर प्रार्थी पर रसद सामग्री के गबन का आरोप माना गया जब कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि बिना किसी उचित निष्कर्ष एवं ठोस साक्ष्य के अभाव में कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं माना सकता बावजूद इसके जांच अधिकारी द्वारा काल्पनिक तथ्यों के एवं संभावनाओं के आधार पर प्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को अत्यन्त फटोर दण्ड देते हुए निरस्त किया गया है। योग्य अभिभाषक ने प्रार्थना की है कि अन्य प्रकरणों की तरह अपीलार्थी का प्रकरण भी समान नेचर के हैं अतः अपीलार्थी का प्रकरण भी जिला रसद अधिकारी भरतपुर को रिमान्ड किया जावे।

पैरोकार रसद ने अपने कथनों में जाहिर किया कि अपीलान्ट ने पोस मशीन से एक ही आधार आर्डडी नम्बर 358135983069 से 208 ट्रांजेक्शन व आधार कार्ड संख्या 732476917151 से 149 फर्जी ट्रांजेक्शन कर उसी आधार कार्ड धारक की बायोमैट्रिक पहचान अंकित कर गेंहू व कैरोसीन का कुटरचित वितरण पोस मशीन में दर्शाया जकार दुरुपयोग किया गया है। डीलर द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5,11,व 17सी का उलंघन किया गया है। अपीलान्ट अन्य प्रकरणों का हवाला देते हुये अपना प्रकरण पुनः जांच हेतु डीएसओ भरतपुर को भिजवाना चाहता है। अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया। उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। अपीलाधीन आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 07-12-2016 का अवलोकन किया गया। तहत पत्रावली डीएसओ के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह प्रकरण दिनांक 19.9.2016 को डीएसओ ने दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट डीलर को नोटिस जारी करने के आदेश दिये हैं, दिनांक 19.9.2016 से दिनांक 07.12.2016 तक प्रकरण अपीलान्ट डीलर की तलबी में विचाराधीन रहा है, डीलर को नोटिस जारी हुये भी हैं या नहीं पत्रावली पर कोई डिस्पेच नम्बर दर्ज नहीं किया गया है। दिनांक 7-12-2016 को प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर नोटिस की तामील मानी जाकर अपीलाधीन आदेश एकतरफा में पारित किया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, प्रवर्तन निरीक्षक ने पत्र क्रमांक / रसद / अभियोजन / 2016 / 3735 दिनांक 23.11.2016 जो कि डीएसओ भरतपुर ने प्रवर्तन निरीक्षक

.....4


जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

(4)

अपील / रसद / 04 / 2022
हेमचन्द्र बनाम डीएसओ भरतपुर


गजेन्द्र बाबू को लिखा है पर ही यह रिपोर्ट अंकित की "मौके पर उपस्थित नहीं मिला नोटिस चस्पा किया..." जो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार यह तो निर्विवाद है कि यह अपीलाधीन आदेश तहत न्यायालय ने बिना परिक्षण किये बिना साक्ष्य सबूत लिये पारित किया है।

माननीय अतिरक्त खाद्य आयुक्त, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 5.1.2022 में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 6.8.2019 को अपारस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रेषित (रिमान्ड) किया है कि ".....रिविजनकर्ता को सुनवाई का पुनः समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें.....।" माननीय अतिरक्त खाद्य आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 05-01-2022 के परिप्रेक्ष्य में मेरी विनम्र राय में प्रकरण को ट्राईल कोर्ट को गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय लिये जाने हेतु प्रति प्रेषित (रिमान्ड) किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर का आदेश दिनांक 07-12-2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण जिला रसद अधिकारी भरतपुर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण का पुनः परीक्षण करें, अपीलान्ट को साक्ष्य वगैरे पेश करने का समुचित अवसर देते हुये विधि सम्मत पुनः विस्तृत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 22-11-2022 को सुनाया गया।


(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

